



आवश्यक सूचना

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर पररूपधारण के प्रकरणों की रोकथाम के लिये परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है । इसी संदर्भ में अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रकार एवं उसके क्रमांक का उल्लेख भी कराया जाता है । अभ्यर्थियों को फोटोयुक्त पहचान के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लायसेंस, फोटोयुक्त बैंक पास बुक एवं फोटोग्राफयुक्त अंकसूची में से किसी एक के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है । यदि अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह दस्तावेज कौन सा है इसकी जानकारी आवेदन पत्र में दर्शित किये जाने का प्रावधान है ।

2. व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थी यदि उपरोक्त उल्लेखित फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होता है तो अभ्यर्थी को अपने टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर स्वयं की फोटो चस्पा करते हुये उसे राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराया जाना अनिवार्य नहीं होगा । परन्तु यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होता है तो विकल्प के रूप में ऐसे अभ्यर्थियों को टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में स्वयं की फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी ।

विज्ञापन क्रमांक / 01/2015

संचालक

व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड नं.-1, विनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462 011